



महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय
Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya
(संसद द्वारा पारित अधिनियम 1997, क्रमांक 3 के अंतर्गत स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय)
(A Central University established by Parliament by Act No. 3 of 1997)
नेक द्वारा 'A' ग्रेड प्राप्त Accredited with 'A' Grade by NAAC

क्रादर नवाज़ खान
कुलसचिव(कार्यवाहक)
Kadar Nawaz Khan
Registrar(Acting)

दूरभाष/Phone : +91-7152-230902

पत्रांक: 005/अका.वि./पानी/बि/टे.नि/2025-26/3758
दिनांक: 25 मार्च, 2026

कार्यालयादेश

विश्वविद्यालय परिसर में पानी की कमी के कारण सम्मिश्र पद्धति (Blended Mode) से कक्षाएं संचालित करने के संबंध में जारी कार्यालयादेश क्रमांक: 005/अका.वि./पानी/बि/टे.नि/2025-26/3748, दिनांक: 03 मार्च, 2026 को निरस्त करते हुए वर्धा मुख्यालय में समस्त विभागों की कक्षाएं दिनांक: 30 मार्च, 2026 से पूर्ववत ऑफलाइन संचालित की जायेंगी।

इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदनोपरांत जारी किया जाता है।

क्रादर खान
(कुलसचिव)
25/3/26

प्रतिलिपि (ई-मेल द्वारा) :

1. कुलपति कार्यालय
2. कुलसचिव कार्यालय
3. समस्त अधिष्ठाता/विभागाध्यक्ष/निदेशक/प्रभारी
4. अधिष्ठाता विद्यार्थी कल्याण
5. कुलानुशासक कार्यालय
6. मुख्य छात्रावास अधीक्षक कार्यालय
7. वित्त विभाग
8. प्रभारी, परिसर
8. लीला विभाग, विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड हेतु
9. संबंधित पत्रावली